N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0048 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 02/03/2025 14:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 26/02/2025 Date To (दिनांक तक): 01/03/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:02 बजे Time To (समय तक): 09:57 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 02/03/2025 Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 02/03/2025 14:01:31 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 90 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): RAJKIYA UCHCH MADHYAMIK VIDHAYALAYA, ODHANIYA, POKARN JILA JAISALMER

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ROOPADEVI

(b) **Wife's Name (पत्नी का नाम):** KHETARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1983 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ODHANIYA, POKRAN, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	ODHANIYA, POKRAN, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHARDA VSHONI		पत्नी:KAPIL	1. GRAM POST KHETOLAI, LATHI,JAISALMER,RAJASTHAN ,INDIA
2	KAPIL		पिता:ASHARAM	1. GRAM KHETOLAI,JAISALMER,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,700.00

[redacted]

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 1,700.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर विषय - रिश्वत मांगने के सबंध में । महोदय, मै रुपादेवी धर्मपत्नी खेताराम मेघवाल निवासी ओढाणियां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर की अर्ज है कि मै आंगनवाडी में आशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत हुं, मैं विधवा व विकलांग महिला हुं मेरा प्रति माह वेतन 4508 रुपये है तथा उसके अलावा क्लेम कार्य की प्रोत्साहन राशि महिने की 4000 रु कभी 5000 रु. मिलते है वो क्लेम PHC खेतोलाई में डाक्टर या ओपरेटर द्वारा वेरीफाई किया जाता है यह फार्म हम हमारे फोन मे एप द्वारा ओनलाईन करने के बाद मेरी ANM वेरीफाई करती है फिर कार्य वेरीफाई किया जाता है जिसके लिये ओपरेटर द्वारा हमारे से बिल वेरीफाई करने कम्पयूटर में अपलोड करने के लिये रिश्वत मांगी जा रही है। ओपरेटर शारदा का कहना है कि भुगतान मे से कभीशन की राशी BCMO जसवंतसिंह पोकरण को देनी पडती है। मेरे पहले के तीन महीनो के बिल के बिल का भुगतान 17550 रुपये का जनवरी 2025 को मेरे खाते मे हुआ था जिसके कमीशन की राशि के लिये तथा मेरे अभी वर्तमान में पिछले तीन महीने के बचे हुए बिल पास करने के लिये अब वो मेरे उपर दबाव बनाकर 1700 रू रिश्वत की मांग की जा रही है तथा उनको भुगतान के लिये कम्प्युटर मे अपलोड नही कर रही हे। PHC खेतोलाई के डाक्टर की PCTS आई डी पासर्वड का संचालन शारदा विश्नोई द्वारा ही किया जाता है और शारदा विश्नोई द्वारा अपने उच्चाधिकारी PHC डाक्टर BCMO जसंवतसिंह के नाम से डरा धमका कर मेरे से बचे हुए बिलो को पास करवाने के लिये दबाव बना रही है। तथा यह भुगतान का कमीशन शारदा अपने पति के मार्फत ले रही है। मै गरीब विधवा विकलांग महिला हूं तथा अल्प आय से बडी मुश्किल से धर का संचालन कर पा रही हु। मै इनको रिश्वत के रुप मे कमिशन राशि नही देकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहती हु । कृप्या आवश्यक कानूनी कार्यवाही करे। -एसडी- संलग्न - रुपोदवी धर्मपत्नी खेताराम मेघवाल 1.आधार कार्ड आशा सहयोगिनी ओढाणियां 2.जोइनिंग लैटर PHCखेतोलाई 3.पैण्डिंग क्लेम कार्य की स्क्रीनसोट की कॉपी मो0न0 - [redacted]
कार्यवाही पुलिस दिनांक 26.02.2025 वक्त 12.02 पी.एम. इस समय परिवादिया श्रीमति रुपा देवी W/O श्री खेताराम कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की व दरीयाफ्त पर बताया कि संदिग्ध आरोपी मेरे क्लेम कार्य की प्रोत्साहन राशि वेरीफाई कर बिल पास करने की एवज में 1700/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रही है साथ ही बताया कि उपरोक्त रिपोर्ट मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है। परिवादिया की रिपोर्ट एवम दरियाफ्त से मामला PC ACT का पाया जाने से आईन्दा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया ।दिनांक 26.02.2025 को वक्त 12.40 पी.एम. पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित श्रीमती बनू कुमारी हैड कानि0 114 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर हाजिर परिवादिया श्रीमती रुपा देवी से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। तत्पशचात कार्यालय हाजा के मालखाना से कार्यालय हाजा का डिजिटल वाइस रिकार्डर मालखाना प्रभारी श्री दीनाराम हैड कानि0 03 से मंगवाया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने व बंद करने कि विधी से परिवादीया व श्रीमती बनू कुमारी हैड कानि 114 को समझाईस की गई। ताबाद परिवादीया श्रीमती रुपा देवी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज समय अधिक हो गया है तथा यहा से ग्राम खेतोलाई की दूरी लगभग 85 से 90 किलोमीटर है वहा पंहुचेगे तब तक पीएचसी बंद होकर आरोपिया पीएचसी में उपस्थित नही मिलेगी साथ ही परिवादिया ने बताया कि जब भी मै आरोपिया से मिलने जाती हु तो वह मेरा मोबाईल चैक करती है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया को हिदायत की गई कि आप आईन्दा से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्रीमति बन्नुकुमारी हैड कानि को वाटसएप्प कॉल ही करे और उसके तुरन्त बाद उक्त वाटसएप्प कॉल को डिलिट कर दे तत्पशचात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईन्दा कल दिनांक 27.02.2025 को आरोपिया एवम परिवादिया के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर रहबरी हासिल की गयी। दिनांक 26.02.2025 को वक्त 12-02 पी.एम.पर परिवादिया श्रीमती रुपा देवी को हिदायत की गयी की कल दिनांक 27.02.2025 को श्रीमती बनु कुमारी हैड कानि. कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के साथ वक्त करीब 01.00 पीएम तक ओढाणिया फाटा पर आयेगी आप ओढाणियां फांटा पर उपस्थित मिलना तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवम श्रीमती बनु कुमारी हैड कानि से जरिये वाट्सएप कॉल वार्ता करने की हिदायत दी जाकर कार्यालय हाजा से

परिवादिया को रुखसत किया गया। दिनांक 27.02.2025 को वक्त 12.05 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती बनू कुमारी हैड कानि0 114 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉइस रिकार्डर मे नया सेन डिस्क अल्ट्रा 64 जीबी मेमोरी कार्ड डाल कर श्रीमती बनू कुमारी हैड कानि0 114 को सुपूर्द कर आरोपिया व परिवादिया के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप हेतू श्रीमती बनू कुमारी हैड कानि0 व कानि श्री सम्पत लाल न0 230 को ओढाणिया फांटा की तरफ रवाना किया गया। दिनांक 27.02.2025 को वक्त 4.11 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर श्रीमती बनू कुमारी हैड कानि. के अपने मोबाईल नम्बर - [redacted] से कॉल कर बताया कि परिवादियां ने डिजिटल वॉइस रिकार्डर मन् महिला हैड कानि को सुपूर्द किया जिसे मेने स्वीच ऑफ कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा हे परिवादिया ने बताया है कि उनकी व संदिग्ध आरोपिया की रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गयी है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हैड कानि0 को परिवादिया से बात करवाने हेतू कहा जाने पर हैड कानि ने उसी फोन से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से परिवादिया से बात करवयी गयी परिवादिया ने भी उपरोक्त तथ्यो की ताईद करते हुए बताया कि आरोपियां ने मेरे व श्रीमती कंचन कंवर आशा सहयोगिनी के 1700 रुपये रिश्वत की मांग की है जिसमें 1000 रुपय श्रीमती कंचन कंवर व 700 रुपये मेरे मांगे गये है ।जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया को उपरोक्त रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 28.02.2025 को प्रातः काल कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गयी एवंम अब तक की कार्यवाही की गोपनियता बरतने की हिदायत कर, महिला हैड कानि0, व कानि श्री सम्पत लाल को मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के तुरन्त कार्यालय हाजा मे उपस्थित होने की हिदायत की गयी। दिनांक 27.02.2025 को वक्त 06.14 पी.एम.श्रीमती बनु कुमारी हैड कानि व श्री सम्पत लाल कानि0 कार्यालय में उपस्थित आये व श्रीमती बनू कुमारी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर सुपूर्द कर बताया कि मन् हैड कानि0 मय डिजिटल वाइस रिकार्डर व श्री सम्पतलाल कानि0 कार्यालय हाजा से रवाना होकर ग्राम ओढाणिया फांटा पंहुचे जहा पर परिवादिया श्रीमती रुपा देवी उपस्थित मिली जिस पर मन् हैड कानि0 द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालू कर परिवादिया को सुपूर्द किया जाकर संदिग्ध आरोपिया से रिश्वत राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतू ग्राम खेतोलाई की तरफ रवाना किया गया मन् हैड कानि व श्री सम्पतलाल कानि0 वही पर अपनी अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादियां के आने के इंतजार में मुकिम हुए। वक्त करीबन ढाई धण्टे बाद परिवादियां मन् हैड कानि के पास उपस्थित आकर कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर सुपूर्द किया जिसे मैने स्वीच ऑफ कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जिसके हालात मेरे द्वारा उपरोक्त फिकरा में श्रीमानजी को निवेदन किये गये है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालू कर रिकार्ड वार्ता के मुख्य अश सुने गये तो आरोपियां द्वारा परिवादिया व श्रीमती कंचन कंवर आशा सहयोगिनी के 1700 रुपये रिश्वत की मांग की है जिसमें 1000 रुपये श्रीमती कंचन कंवर व 700 रुपये मांग करने की पुष्टि हुई है ताबाद रिकार्डिंग वार्ता की आइन्दा ट्रासंस्क्रीप्ट तैयार करने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय का डिजिटल वॉइस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। दिनांक 28.02.2025 को वक्त 10.30 ए.एम.पर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर के नाम पत्र क्रमाक 321 दिनांक 28.02.2025 जारी कर श्री कंवराजिंसह कानि0 444 को गवाहान लाने हेतु रवाना कार्यालय आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर की तरफ किया गया दिनांक 28.02.2025को वक्त 11.00 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा श्री कंवराजिंसह कानि0 444 ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान लेकर चौकी हाजा पर उपस्थित आया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देकर बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए गवाहान से परिचय पुछा गया तो उन्होन अपना - अपना परिचय क्रमश श्री राजकुमार महतो पुत्र श्री तालेवार महतो उम्र 40 साल निवासी ग्राम पोस्ट के-जी आश्रम थाना धनबाद झारखण्ड हाल कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद जैसलमेर मोबाईल नंबर- [redacted] तथा श्री लोकेश पंवार पुत्र श्री अमृतलाल पंवार उम्र 30 साल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर हाल कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद जैसलमेर मोबाईल नंबर-[redacted] के रुप में दिया। दिनांक 28.02.2025 को वक्त 11.20 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा परिवादिया श्रीमती रुपा देवी कार्यालय में उपस्थित आयी व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै आरोपियां श्रीमती शारदा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1700 रुपये साथ लेकर आयी हूं, साथ ही परिवादिया ने बताया कि उक्त रिश्वत राशि श्रीमति शारदा विश्नोई ने अपने पति श्री कपिल विश्नोई को देने हेतु कहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व में कार्यालय में उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह को कार्यालय कक्ष मे तलब कर परिवादियां व स्वतंत्र गवाहो को आपसी परिचय करवाया गया तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादियां का स्वयं लिखित प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया व पढने हेतु दी जाकर तथा आरोपिया व परिवादिया के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड है को चालु कर मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य - मुख्य अंश सुनाये गये। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादियां से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई। दिनांक 28.02.2025 को वक्त 11.45 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के

रूबरू परिवादीयां रूपादेवी व आरोपिया श्रीमती शारदा विश्नोई कम्प्यूटर ऑपरेटर, संविदाकर्मी, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, खेतोलाई जिला जैसलमेर के मध्य दिनांक 27..02.2025 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप, जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल SANDISK Ultra 64 GB के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड हैं। कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर कार्यालय के लेपटॉप में जोड़कर उक्त रिकॉर्डिंग वार्तालाप को रूबरू दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादिया के सुन-सुन कर एंव समझकर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री भंवरलाल कानि 309 व सम्पतलाल कानि 230 के सहयोग से कार्यालय लेपटॉप से हूबहू फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। परिवादिया स्वयं एवं आरोपिया के आवाज की पहचान परिवादिया श्रीमती रूपादेवी द्वारा की गई। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल SANDISK Ultra 64 GB के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड उक्त रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से भंवरलाल कानि 309 से दो मेमोरी कार्ड तैयार करवाये जाकर उक्त दोनो मेमोरी कार्ड को डब मानते हुए खुली रखी गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल SANDISK Ultra 64 GB के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री भंवरलाल कानि 309 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादिया, गवाहान एंव संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDISK Ultra 64 GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर एक कपड़े की थैली में डालकर में डालकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण विवरण अंकित कर सील्ड मौहर कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क "एम"अंकित किया जाकर उक्त शील्डशुदा पैकेट मय दो डब मेमोरी कार्ड मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया आईन्दा उक्त प्रादर्श श्री दीनाराम हैड कानि 03 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया जावेगा। दिनांक 28.02.2025 को वक्त 3.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई द्वारा परिवादिया के अतिरिक्त एक अन्य आशा सहयोगिनी श्रीमति कंचन कंवर की राशि भी परिवादिया श्रीमती रूपा देवी से मांगी गई है। इसी दौरान इस सम्बन्ध में परिवादिया श्रीमति रूपादेवी के मोबाईल नम्बर 7611823376 का स्पीकर ऑन कर श्रीमति कंचनकंवर के मोबाईल नम्बर पर वार्ता करवाई जाकर उक्त वार्ता को कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाई गई। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाये जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 28.02.2025 को वक्त 3.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू परिवादीया रूपा देवी द्वारा ब्यूरों कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोपिया श्रीमती शारदा विश्नोई कम्प्यूटर ऑपरेटर, संविदाकर्मी, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, खेतोलाई जिला जैसलमेर के द्वारा रिश्वती राशि में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्रीमति रूपादेवी व श्रीमति कंचनकंवर के कार्य हेतु रिश्वती राशि की मांग के सम्बन्ध में हुई मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.02.2025 पर कार्यालय हाजा में परिवादिया के मोबाईल नम्बर से श्रीमति कंचन कंवर के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता दिनांक 28.02.2025 जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी Sandsik Ultra 64 GB में रिकॉर्ड हैं। उक्त रिकॉर्ड टेलीफोनिक वार्तालाप को सुन-सुनकर एंव समझकर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री भंवरलाल कानि 309 व सम्पतलाल कानि 230 के सहयोग से कार्यालय लेपटॉप से हूबहू फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल Sandsik Ultra 64 GB मेमोरी कॉर्ड मे रिकॉर्ड उक्त परिवादिया श्रीमति रूपा देवी एवं श्रीमति कंचन कंवर के मध्य आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई को दी जाने वाली रिश्वत राशि 1000 रूपये के सम्बन्ध में हुई मोबाईल वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से भंवरलाल कानि 309 से दो मेमोरी कार्ड तैयार करवाये जाकर इन्हें डब मानते हुए खुला रखा गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Sandsik Ultra 64 GB में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री भंवरलाल कानि 309 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। परिवादिया श्रीमति रूपा देवी एवं श्रीमति कंचन कंवर के मध्य आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई को दी जाने वाली रिश्वत राशि की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड Sandsik Ultra 64 GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर एक कपड़े की थैली में डालकर में डालकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण विवरण अंकित कर सील्ड मौहर कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क "एम-1"अंकित किया जाकर उक्त षील्डषुदा पैकेट मय दो डब मेमोरी कार्ड मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया आईन्दा उक्त प्रादर्ष श्री दीनाराम हैड कानि 03 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया जावेगा। दिनांक 28.02.2025 को वक्त 5.00 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू मन् नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो जैसलमेर द्वारा परिवादी रूपादेवी से दलाल (पति कपिल) के मार्फत संदिग्ध आरोपिया श्रीमति शारदा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1700/ रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी ने 500-500 रूपये के 03नोट, एवं 200 रूपये का 01 नोट कुल राशि 1700/ रू. रूबरू गवाहान पेश किये, जिनके

नम्बर निम्नानुसार हैं। 1 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 3 BN 640457 2 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 4HS 100464 3 एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी 2 AV 940474 4 एक नोट दो सौ रुपये का नम्बरी 9 AS 176610 कार्यालय हाजा के मालखाना का श्री दीनाराम हैड़ कानि. नं. 03 से खुलवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मंगवाई जाकर श्री किसनाराम कानि. नं. 238 से उक्त 1700 रू. के सभी नोटों को कार्यालय कक्ष की टेबल पर एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादिया श्रीमति रूपादेवी की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि 114 से लिवाई गई। तत्पश्चात प्लास्टिक की एक डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक प्लास्टिक डिस्पोजल चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान व परिवादिया को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री किसनाराम कानि. नं. 238 के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि संदिग्ध आरोपिया द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। परिवादिया श्रीमति रूपादेवी के बैग की जामा तलाशी बन्नुकुमारी हैड कानि 114 से लिवाई जाकर बैग के अन्दर किसी प्रकार की राशि अथवा आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। ताबाद श्री किसनाराम कानि 238 से उक्त रिश्वती राशि परिवादिया के बैग में रखवाई जाकर परिवादिया के हिदायत दी गई की रास्ते में उक्त राशि के हाथ नही लगावे संदिग्ध आरोपिया/दलाल के मांगने पर उक्त राशि बैग से निकाल कर उसे दे। रिश्वती राशि आदान प्रदान के बाद संदिग्ध आरोपिया से हाथ नही मिलाये अभिवादन की जरूरत पड़े तो दूर से ही हाथ जोड़कर अभिवादन कर लेवे साथ ही परिवादिया को हिदायत की गई रिश्वती राशि आदान प्रदान के बाद अपने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल का गोपनीय ईशारा करे। आरोपिया द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखती है अथवा कहां छुपाती हैं का भी ध्यान रखें। ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। ताबाद फिर गिलास के गुलाबी घोल को ऑफिस से बाहर फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास व रिष्वती राषि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी श्री किसनाराम कानि. नं. 238 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवाई जाकर श्री दीनाराम हैड़ कानि. नं. 03 से मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। ट्रेप दल के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री किसनाराम कानि. नं. 238 को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया गया। अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। दिनांक 28.02.2025 को वक्त 5.40 पीएम पर परिवादीया श्रीमती रुपा देवी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज समय अधिक हो गया है तथा यहा से ग्राम खेतोलाई की दूरी अधिक है वहा पंहुचेगे तब तक पीएचसी बंद हो चुकी है। आरोपिया पीएचसी में उपस्थित नही मिलेगी जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आईन्दा कल दिनांक 01.03.2025 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर परिवादिया के बैग में रखवाई गई फिनोफलीन पाउडरयुक्त रिश्वत राशि स्वतन्त्र गवाह श्री राजकुमार महतो से निकलवाई जाकर एक सफेद लिफाफे में डलवाई जाकर स्वतन्त्र गवाह से कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर अलमारी का लॉक लगवाया जाकर चॉबी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखी गई। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर रहबरी हासिल की गयी। दिनांक 28.02.2025को वक्त 6.00 पीएम पर परिवादिया श्रीमती रुपा देवी को कल दिनांक 01.03.2025 को वक्त 8.15 एएम रेल्वे स्टेशन ओढाणियां के पास उपस्थित मिलने व अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर कार्यालय हाजा से परिवादिया को रुखसत किया गया। साथ ही दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता को भी कल दिनांक 01.03.2025 को वक्त 5.40 एएम तक कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 28.02.2025 को वक्त 6.20 पीएम पर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु दो महिला कानि की आवश्यकता होने से थानाधिकारी महिला पुलिस थाना जैसलमेर के नाम पत्र क्रमाक 320 दिनांक 28.02.2025 जारी कर श्री कंवराजिंसह कानि0 444 को दो महिला कानि लाने हेतु रवाना कार्यालय महिला पुलिस थाना जैसलमेर की तरफ किया गया। दिनांक 28.02.2025 को वक्त 7.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना सुदा श्री कंवराजिंसह कानि0 444 कार्यालय हाजा उपस्थित आकर बताया कि महिला पुलिस थाना से रेशमा महिला कानि 637 व श्रीमति सरोज बाला 574 कल दिनांक 01.03.2025 को वक्त 6 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया है। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 6.20 एएम पर स्वतन्त्र गवाहान श्री राजकुमार महतो व श्री लोकेश पंवार एव महिला पुलिस थाना से रेशमा महिला कानि 637 व श्रीमति सरोज बाला 574 कार्यालय में उपस्थित आये तथा कार्यालय का समस्त ब्यूरो जाब्ता

भी कार्यालय में उपस्थित है। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 6.35 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व मे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे सफेद लिफाफे मे डालकर अलमारी मे रखी हुई रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार महतो से निकलवाई जाकर, सफेद लिफाफे में रखी हुई अवस्था मे ही स्वतंत्र गवाह राजकुमार महतो के पास जेब में सुरक्षित रखवाई गई तत्पश्चात समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकस्मिक खर्च के 3000 रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात मन् नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान राजकुमार महतो , श्री लोकेश पंवार, श्री चम्पालाल एएसआई, श्री दीनाराम हैड कानि 03, श्री बन्नुकुमारी हैड कानि 114, श्री संग्रामसिंह कानि 536, श्री किसनाराम कानि 238, श्री भंवरलाल कानि 309, श्री कंवराजसिंह 444, महिला पुलिस थाना से रेशमा महिला कानि 637 व श्रीमति सरोज बाला 574 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, आरोपिया श्रीमति शारदा तथा परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.02.2025 तथा परिवादिया श्रीमति रूपा देवी व श्रीमति कंचन कंवर के मध्य हुई मोबाईल वार्ता दिनांक 28.02.2025 के मेमोरी कार्ड के शिल्डशुदा पैकेट क्रमश मार्क एम और एम-1 मय उपरोक्त वार्ताओ के डब मेमोरी कार्डस खुली हालात में, पानी का कैम्पर एवं परिवादिया के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली मय सरकारी कैमरा मय मैमोरी कार्ड, लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूसी 8658 मय चालक श्री शेराराम कानि 302 एवं प्राईवेट वाहन के एसीबी कार्यालय जैसलमेर से ओढाणिया की तरफ रवाना हुए। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 8.00 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा ओढाणिया पहुच वाहनो को रोड़ के साईड में खडा किया जाकर श्री चम्पालाल एएसआई कानि श्री कंवराजसिंह, श्रीमति बन्नुकुमारी हैड कानि, श्रीमति सरोज बाला महिला कानि 574 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री शेराराम के ओढाणिया फांटा पर ही अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अग्रिम आदेश तक खड़े रहने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 01.03.2025को समय 8.25 एएम पर मन् नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान राजकुमार महतो , श्री लोकेश पंवार, , श्री दीनाराम हैड कानि 03, श्री संग्रामसिंह कानि 536, श्री किसनाराम कानि 238, श्री भंवरलाल कानि 309, महिला पुलिस थाना से रेशमा महिला कानि 637 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं परिवादिया के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली मय सरकारी कैमरा मय मैमोरी कार्ड, लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के प्राईवेट वाहन के ओढाणिया फांटा से रवाना होकर रेल्वे स्टेशन क्रॉसिग के पास ओढाणिया पहुच कर गाड़ी को रोड के किनारे खडी कर परिवादिया के आने के इंतजार मे मुकीम रहे। वक्त 8.50 एएम पर पुर्व से पाबंदशुदा परिवादिया श्रीमति रूपादेवी उपस्थित आई। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 8.59 एएम पर मन् नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रूबरू दोनों स्वतन्त्र गवाहान के परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादिया के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर जरिये वाटसएप्प कॉल रिश्वत राशि लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करवाई गई तो आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई ने फोन पर बताया कि मै आपको आधा घन्टा बाद वापिस बताती हु। आरोपिया व परिवादिया के मध्य हुई उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाई जाकर उक्त रिकॉर्डेड वार्ता की आईन्दा ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। ताबाद आरोपिया के वापिस कॉल आने के इंतजार में रेल्वे फाटक के पास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुए। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 09.41 एएम पर आरोपी श्री कपिल के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादिया के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर बताया कि मै राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय ओढाणिया के पास खड़ा हु आप आ जाओ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमति रूपा देवी की जामा तलासी रेशमा महिला कानि 637 से लिवाई जाकर परिवादिया के पास अपना मोबाईल फोन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि एवं दस्तावेजात नही रहने दिये गये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार महतो के पास सफेद लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि को उसकी जेब से निकलवाई जाकर लिफाफे से बाहर निकलवाकर रिश्वती राशि के नोटो को उपर-नीचे करवाया जाकर परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के पास उपलब्ध एक छोटे पर्स में रखवाई गई। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री राजकुमार महतो से उक्त सफेद लिफाफा जिसमे रिश्वत राशि रखी गई थी उक्त सफेद लिफाफे को नष्ट करवाया गया इसके पश्चात् परिवादिया को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र के अतिरिक्त किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादिया सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड श्री संग्रामसिह कानि से चालु करवा कर परिवादिया को सुपुर्द कर रिश्वती राशि लेन देन हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय ओढाणिया की तरफ रवाना किया गया। साथ ही संग्राम सिंह कानि को हिदायत दी गई कि आप परिवादिया के पीछे पीछे रवाना होकर सरकारी स्कुल के नजदीक पहुच गोपनीय रूप से मुकीम रहे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा

दोनों स्वतन्त्र गवाह् षेश ब्यूरो जाब्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय ओढाणिया व रेल्वे का्रसिग के बीच में रोड के किनारे प्राईवेट वाहन में बैठकर परिवादिया के गोपनीय इशारे के इंतजार में मुकिम हुए। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 09.57 एएम पर परिवादिया श्रीमति रुपादेवी धर्मपत्नी खेताराम मेघवाल निवासी ओढाणियां तहसील पोकरण जिला जैसलमेर ने पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॉल कर इशारा किया इसी दौरान श्री संग्रामसिह कानि 536 ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के उक्त मोबाईल नम्बर पर वाटसएप्प कॉल कर बताया कि आरोपी श्री कपिल परिवादिया से रिश्वत राशि लेकर अपनी मोटरसाईकिल से ओढाणिया फांटा की तरफ रवाना हो गया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान ब्यूरो दल के सदस्य श्री दीनाराम हैड कानि, श्री भंवरलाल कानि, श्री किसनाराम कानि, एवं श्रीमति रेशमा महिला कानि 637 महिला पुलिस थाना जैसलमेर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय ओढाणिया व रेल्वे का्रसिग के बीच में रोड के किनारे पुर्व से ही खडे थे इतने मे ही एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से ओढाणिया गांव की तरफ से रेल्वे फाटक के पास आया जिसे इशारा कर रूकवाया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हमराहियान का उक्त व्यक्ति को परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री कपिल पुत्र आशाराम जाति विश्नोई उम्र 27 साल निवासी खेतोलाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर होना बताया। इसी दौरान परिवादिया श्रीमति रूपा देवी घटनास्थल से पैदल चलकर उपस्थित आई एवं पुर्व से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेतोलाई का पति श्री कपिल हैं जिन्होने अभी-अभी मेरे से राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय ओढाणिया के पास 1700 रुपये मांग कर अपने दाहिने हाथ मे लेकर अपनी पहनी हुए काले रंग के पायजामा के घुटने के पास साईड की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु गवाहान के परिवादिया की तरफ ईशारा कर आरोपी श्री कपिल से पूछा कि आप इन्हे जानते हो जिस पर आरोपी श्री कपिल ने बताया कि मै इनको जानता हुं इनका नाम रूपा देवी है तथा आशा सहयोगिनी ओढाणिया में लगी हुई है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री कपिल से पूछा गया कि आपने अभी-अभी श्रीमति रूपादेवी से किसी प्रकार की राशि प्राप्त की हैं जिस पर आरोपी ने बताया कि मैने श्रीमति रूपादेवी से 1700 रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुए काले पायजामा के घुटने के पास साईड की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी से अपनी पत्नी का नाम पुछने पर उसने बताया कि मेरी पत्नी का नाम श्रीमति शारदा विश्नोई है तथा वह पीएचसी खेतोलाई मे कम्प्युटर ऑपरेटर के पद पर संविदाकर्मी के रूप में कार्य कर रही है । मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी से उक्त राशि परिवादिया से किस बारे में लेने बाबत पुछने पर आरोपी ने बताया कि उक्त राशि मैने श्रीमति रूपादेवी को दो दिन पहले पीएचसी खेतोलाई में उधार दिये थे जो इन्होने आज वापस दिये है। जिस पर पास ही खडी परिवादिया श्रीमति रूपा देवी ने आरोपी के उक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया कि मैने श्री कपिल से कभी राशि उधार नही ली थी, श्री कपिल की पत्नी श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर संवीदाकर्मी पीएचसी खेतोलाई द्वारा मेरे क्लेम कार्य की प्रोत्साहन राशि के बिल वेरीफाई करने, कम्पयूटर में अपलोड कर बिलों का भुगतान करने की एवज में 700 रूपये मेरे तथा 1000 रूपये श्रीमति कंचन कंवर आशा सहयोगिनी कुल 1700 रूपये मांगकर अपने पति श्री कपिल को देने हेतु कहा था। श्रीमति शारदा विश्नोई के कहेनुसार मेरे उपरोक्त कार्य की एवज में मैने आज उक्त 1700 रूपये श्री कपिल को दिये है। जिस पर आरोपी श्री कपिल निरूत्तर हो गया। इसी दौरान मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादिया को पूर्व मे दिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादिया से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता का आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल से श्री चम्पालाल एएसआई के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर निर्देषित किया गया कि आप कानि श्री कंवराजसिंह, श्रीमति बन्नुकुमारी हैड कानि, श्रीमति सरोज बाला महिला कानि 574 को साथ लेकर मय सरकारी वाहन मय चालक षेराराम आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई के निवास ग्राम खेतोलाई पहुच उसे दस्तयाब कर उरमूल ट्रस्ट पोकरण उपस्थित आवे। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री भंवरलाल कानि के मोबाईल नम्बर [redacted] से थानाधिकारी पुलिस थाना लाठी श्री राजेन्द्र खदाव के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर थानाधिकारी को निर्देषित किया कि ब्यूरो की एक टीम आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई के खेतोलाई स्थित निवास दस्तयाब करने हेतु गई हुई है। आप अपने जाब्ते के साथ आरोपिया की दस्तयाबी में ब्यूरो की टीम का सहयोग करे। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री कपिल (दलाल) के दोनो हाथ कलाईयों के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकड़वाया गया। चूकि उक्त ग्राम ओढाणिया की आम सड़क पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की उचित व्यवस्था नही होने से व सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही उरमूल ट्रस्ट कार्यालय पोकरण मे करने का निर्णय लिया जाकर आरोपी की बिना नम्बरी प्लेटिना मोटर साईकिल की चाबी श्री किसनाराम कानि को सुपुर्द कर उक्त मोटरसाईकिल लेकर उरमूल ट्रस्ट कार्यालय पोकरण पहुचने की हिदायत की गई तथा आरोपी श्री कपिल को यथा स्थिति में ही निजी वाहन मे बैठाकर, परिवादिया श्रीमति रूपादेवी व स्वतंत्र गवाहान सर्व राजकुमार महतो एवं लोकेश पंवार, षेष ब्यूरो जाब्ता श्री दीनाराम हैड कानि, श्री भंवरलाल कानि, श्री संग्रामसिह कानि, रेशमा महिला कानि को

हमराह लेकर निजी वाहन से उरमूल ट्रस्ट कार्यालय पोकरण पहुचे। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई के खेतोलाई स्थित निवास स्थान के बारे में श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जोधपुर को जरिये मोबाईल अवगत करवाया जाकर आरोपिया के घर की खाना तलाशी बारे में दिशा निर्देश प्राप्त किये जाकर आईन्दा आरोपिया के घर की खाना तलाशी लिये जाने का निर्णय लिया गया। तथा आरोपिया के खेतोलाई स्थित मकान की निगरानी हेतु ब्यूरो जाब्ता को मुकीम किया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री कपिल प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) से पुनः तसल्ली पूर्वक पूछा गया कि आपने परिवादिया श्रीमति रूपा देवी से आज जो राशि प्राप्त की गई हैं वह राशि किस बात के लिये ली गई हैं तो आरोपी श्री कपिल ने रुबरु स्वतंत्र गवाहान के बताया कि मैने मेरी पत्नी श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर संविदा के कहने पर ग्राम ओढाणिया आकर श्रीमति रूपा देवी से उक्त 1700 रूपये से प्राप्त किये है। जो मेरे पहने हुए पायजामा की घुटने के पास वाली दाहिनी जेब में रखे है। एवं कंहा कि साहब मेरे से गलती हो गई हैं माफ कर दो। तत्पश्चात उरमूल ट्रस्ट कार्यालय पोकरण में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादिया की उपस्थिति में दो साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकालवाकर दोनो गिलासो मे उरमूल ट्रस्ट कार्यालय पोकरण मे रखे कैम्पर से पीने का साफ पानी का लौटा भरकर मंगवाया जाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाया गया एवं उक्त प्लास्टिक गिलासो मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास मे आरोपी श्री कपिल के बाये हाथ की अंगूलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का मटमेला हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने उक्त धावन का रंग हल्का मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त हल्के मटमेले धोवन को दो साफ कांच की शीशीयो मे आधा-आधा भरवाकर उक्त शिशियो पर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात दुसरी घोल के गिलास मे आरोपी श्री कपिल के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने उक्त घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी धोवन को भी आधा-आधा दो कांच की साफ शिशियो मे भरवाकर उक्त शिशियो पर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह लोकेश पंवार से आरोपी श्री कपिल के पहने हुए पायजामा के घुटने के पास वाली दाहिनी जेब की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहने हुए पायजामा के घुटने के पास वाली दाहिनी जेब मे 500-500 रूपये के 03 नोट एवं 200 रूपये का एक नोट कुल 1700 रूपये मिले। उक्त राशि के अतिरिक्त पायजामा की उक्त जेब में अन्य कोई राशि, दस्तावेज अथवा अन्य सामान नहीं पाया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री राजकुमार महतो को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि देकर उक्त बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतन्त्र गवाह श्री लोकेश पंवार द्वारा बोल बोलकर करवाया गया तो उक्त नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त बरामद रिश्वती राशि को एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री कपिल के पहनने हेतु एक अन्य पायजामा उरमूल ट्रस्ट कार्यालय पोकरण से क्रय किया जाकर उक्त पायजामे का क्रय करने का बिल प्राप्त कर आरोपी के पहने हुए पायजामा को उतरवाकर उक्त नया पायजामा पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उरमूल ट्रस्ट कार्यालय पोकरण के कैम्पर से साफ पानी का लौटा भरकर मंगवाया जाकर प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास मे साफ पानी भरवाकर उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी के वक्त घटना पहने हुए पायजामा की घुटने के पास वाली दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त गिलास रंगहीन घोल मे डूबोवाकर धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी धोवन को दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया गया तथा उक्त पायजामा की घुटने के पास वाली दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पायजामा को कपड़े के पैकेट मे डालकर पैकेट पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर पैकेट पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व पैकेट पर मार्क-पी अंकित किया गया। इसी दौरान श्री चम्पालाल एएसआई द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर बताया कि आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई के खेतोलाई स्थित निवास पर जाकर आरोपिया की तलाश की गई परन्तु आरोपिया अपने घर पर उपस्थित नही है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री चम्पालाल एएसआई को निर्देषित किया कि आरोपिया के निवास के पडौसीयान तथा गांव में पुछताछ कर आरोपिया को दस्तयाब कर उपस्थित आवे। उक्त ट्रेप कार्यवाही दौरान आरोपी से बरामद हुई रिश्वती राशि 1700/- रूपये, आरोपी श्री कपिल के दोनों हाथो के लिये गये धोवन, आरोपी श्री कपिल से की गई पूछताछ इत्यादि का विभागीय कैमरे मे लगे मेमोरी कार्ड

विडियोग्राफी की गई। उक्त विडियोग्राफी का दो अन्य मेमोरी कार्ड तैयार किया जाकर उसे डब मानकर खुली हालात में रखा गया। तथा मूल मैमोरी कार्ड को रूबरू मौतबिरान के कार्डकवर मे पैक कर एक कपड़े की थैली में डालकर थैली के मुह की सिलाई कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर शील्ड मोहर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षकर करवाये जाकर उक्त थैली पर मार्क "वी" अंकित किया गया। आरोपी श्री कपिल से की गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री कपिल पुत्र आशाराम जाति विश्नोई उम्र 27 साल निवासी खेतोलाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर प्राईवेट व्यक्ति दलाल (आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई का पति) द्वारा परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के क्लेम कार्य की प्रोत्साहन राशि के बिल वैरीफाई करने तथा कम्प्युटर मे अपलोड कर बिलो का भुगतान करने की एवज में आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई हाल कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई द्वारा दिनांक 27.02.2025 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान 1700 रूपये मांग करना, तथा आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई के कहे अनुसार श्री कपिल प्राईवेट व्यक्ति दलाल द्वारा आज दिनांक 01.03.2025 को वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादिया से 700 रूपये परिवादिया स्वंय के तथा 1000 रूपये श्रीमति कंचन कंवर आशा सहयोगिनी कुल 1700 रूपये लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया गया। आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई एवं आरोपी कपिल प्राईवेट व्यक्ति दलाल(आरोपिया का पति) का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2)बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी अलग से तैयार कर शामिल रंनिग नोट की गई। अब तक के हालात उच्च अधिकारियो को निवेदन कर आरोपी श्री कपिल के खेतोलाई स्थित मकान की खाना तलाशी हेतु उच्च अधिकारियो को निवेदन किया गया। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 1.55 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू परिवादीया रूपा देवी एवं आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई के मध्य लेन देन से पुर्व हुई मोबाईल वार्ता एवं परिवादिया श्रीमति रूपा देवी एवं आरोपी श्री कपिल प्राईवेट व्यक्ति दलाल के मध्य हुई वक्त लेन देन रूबरू वार्तालाप दिनांक 01.03.2025 जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Brinton 16 GB में रिकॉर्ड हैं। कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर कार्यालय के लेपटॉप में जोड़कर उक्त रिकॉर्डिंग वार्तालापों को रूबरू दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादिया के सुन-सुन कर एंव समझकर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्टे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री भंवरलाल कानि 309 के सहयोग से कार्यालय लेपटॉप से हूबहू फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। परिवादिया स्वयं एवं आरोपी श्री कपिल के आवाज की पहचान परिवादिया श्रीमती रूपादेवी द्वारा की गई। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल Brinton 16 GB के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड उक्त परिवादीया रूपा देवी एवं आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई के मध्य लेन देन से पुर्व हुई मोबाईल वार्ता एवं परिवादिया श्रीमति रूपा देवी एवं आरोपी श्री कपिल प्राईवेट व्यक्ति दलाल के मध्य हुई वक्त लेन देन रूबरू वार्तालाप दिनांक 01.03.2025 की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से भंवरलाल कानि 309 से दो मेमोरी कार्ड तैयार करवाये जाकर उक्त दोनो मेमोरी कार्ड को डब मानते हुए खुली रखी गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल Brinton 16 GB के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री भंवरलाल कानि 309 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादिया, गवाहान एंव संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। उक्त वार्तालापों की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड Brinton 16 GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर एक कपड़े की थैली में डालकर में डालकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण विवरण अंकित कर सील्ड मौहर कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क "एम-2"अंकित किया गया। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 3.30 पीएम पर मन नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री कपिल पुत्र आशाराम जाति विश्नोई उम्र 27 साल निवासी खेतोलाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर दलाल प्राईवेट व्यक्ति (आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर संविदाकर्मी पीएचसी खेतोलाई का पति) से की गई पुछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री कपिल प्राईवेट व्यक्ति दलाल (आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई का पति) द्वारा परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के क्लेम कार्य की प्रोत्साहन राशि के बिल वैरीफाई करने तथा कम्प्युटर मे अपलोड कर बिलो का भुगतान करने की एवज में आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई हाल कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई द्वारा दिनांक 27.02.2025 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान 1700 रूपये की मांग करना, तथा आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई के कहे अनुसार श्री कपिल प्राईवेट व्यक्ति दलाल द्वारा आज दिनांक 01.03.2025 को वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादिया से 700 रूपये परिवादिया स्वंय के तथा 1000 रूपये श्रीमति कंचन कंवर आशा सहयोगिनी के, इस प्रकार कुल 1700 रूपये लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया गया। आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई एवं आरोपी श्री कपिल प्राईवेट व्यक्ति दलाल (आरोपिया का पति) का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2)बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री कपिल पुत्र आशाराम जाति विश्नोई उम्र 27 साल निवासी खेतोलाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर को उनके द्वारा किये गये जूर्म से

[redacted]

आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिग नोट की गई। आरोपी के पास मिले मोबाईल फोन एवं बिना नम्बरी प्लेटिना मोटरसाईकिल आरोपी के कहेअनुसार श्री अब्दुल मजीद हाल लैब तकनीशियन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेतोलाई जिला जैसलमेर(संविदाकर्मी) को सुपुर्द कर पावती रसीद प्राप्त की गई। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 3.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां, पायजामा का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वती राशि, वक्त से पुर्व लेन-देन व वक्त लेन देन वार्तालापां के मेंमोरी कार्ड का षिल्डषुदा पैकेट, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर इत्यादि प्रार्दश एवं ट्रेप बॉक्स को साथ लेकर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री राजकुमार महतो व श्री लोकेश पंवार परिवादिया श्रीमति रूपा देवी तथा ब्यूरो जाब्ता के मय प्राईवेट वाहन घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु ओढाणिया के लिये रवाना हुआ। आरोपी श्री कपिल को शेष ब्यूरो जाब्ता की निगरानी मे उरमूल ट्रस्ट कार्यालय पोकरण पर ही छोडा गया। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 4.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्राम ओढाणिया राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय ओढाणिया पहुंचकर परिवादिया की निशादेही के अनुसार रुबरु स्वतंत्र गवाहान गवाहान श्री राजकुमार महतो व श्री लोकेश पंवार परिवादिया श्रीमति रूपा देवी तथा ब्यूरो जाब्ता के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया । फर्द नक्शा मौका घटनास्थल के अनुसार रिश्वति राशि लेन-देन प्राप्ति स्थल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह एवं श्री भंवरलाल कानि 309. की दूरी करीबन 300 मीटर श्री संग्रामसिह कानि 536 की दूरी 20 फुट, शेष ब्यूरो स्टाफ की दूरी 400 मीटर होना दर्शायी गई है तथा घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान सूर्य की पूर्ण रोशनी थी। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 5.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के घटना मौका स्थल से रवाना होकर कार्यालय उरमूल ट्रस्ट पोकरण उपस्थित आया। आरोपी श्री कपिल को स्वंय के जिम्मे लिया गया। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 5.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान आरोपी श्री कपिल ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल कानि, श्री दीनाराम हैड कानि 03 के तथा ट्रेप बॉक्स मय समस्त प्रादर्ष एवं प्रकरण की पत्रावली मय लेपटॉप प्रिन्टर एवं सरकारी कैमरा मय मेमोरी कार्ड इत्यादि आवश्यक सामग्री के प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री कपिल के खेतोलाई स्थित निवास की खाना तलाशी हेतु ग्राम खेतोलाई के लिए रवाना हुआ। दिनांक 01.03.2025 वक्त 5.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान आरोपी श्री कपिल ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल कानि, श्री दीनाराम हैड कानि 03 के तथा ट्रेप बॉक्स मय समस्त प्रादर्ष एवं प्रकरण की पत्रावली मय लेपटॉप प्रिन्टर, सरकारी केमरा मय मेमोरी कार्ड इत्यादि आवष्यक सामग्री के प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री कपिल के खेतोलाई स्थित निवास पर पहुचा। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 5.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूबरू गवाहान के आरोपी श्री कपिल के खेतोलाई स्थित निवास की खाना तलाशी की जाकर, की गई खाना तलाशी की विडियिग्राफी करवाई गई तथा खाना तलाशी फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल रनिग नोट की गई ताबाद आरोपी के निवास से परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के पैन्डिग कार्य से सम्बन्धित कागजात एवं आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई का सेवा विवरण लेने हेतु पीएचसी खेतोलाई के लिए रवाना हुआ। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 7.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूबरू गवाहान के आरोपी श्री कपिल के बाद खाना तलाशी परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के पैन्डिग कार्य से सम्बन्धित कागजात एवं आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई का सेवा विवरण लेने हेतु पीएचसी खेतोलाई पहुचा जहॉं पर श्रीमति भावना एएनएम पीएचसी मे उपस्थित मिली जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के पैन्डिग बिल, एवं आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई का सेवा विवरण चाहा गया जिस पर श्रीमति भावना द्वारा परिवादिया के पैन्डिग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज तथा आरोपिया का सेवा विवरण की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जो बाद अवलोकन शामिल रनिग नोट की गई ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के पीएचसी खेतोलाई से रवाना उरमूल ट्रस्ट कार्यालय पोकरण के लिए हुआ। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 8.45 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहीयान उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा आरोपी श्री कपिल ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल कानि, श्री दीनाराम हैड कानि 03 के तथा ट्रेप बॉक्स मय समस्त प्रादर्ष एवं प्रकरण की पत्रावली मय लेपटॉप प्रिन्टर इत्यादि आवष्यक सामग्री के प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री कपिल के खेतोलाई स्थित निवास की खाना तलाषी हेतु ग्राम खेतोलाई से रवानाषुदा उरमूल ट्रस्ट कार्यालय पोकरण पहुचा। दिनांक 01.03.2025 को वक्त 8.50 पी एम पर पूर्व से पाबंद सुदा आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई के सहकर्मी श्री श्री अब्दुल मजीद हाल लैब तकनीशियन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेतोलाई व श्री शिवप्रकाश हाल नर्सिग ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेतोलाई उपस्थित आये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस द्वारा रूबरू स्वतन्त्र गवाहान आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई एवं परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.02.2025 एवं आज दिनांक 01.03.2025 को उक्त दोनों के मध्य हुई लेन देन से पुर्व मोबाईल वार्ता की रिकॉर्डिंग ब्यूरो द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्डस में रिकॉर्ड की गई थी ,उपरोक्त दोनों आवाज पहचानकर्ताओं को बारी-बारी से उक्त दोनों रिकॉर्डिंग वार्ताएं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे बारी बारी से डब मेमोरी कार्ड डालकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर सुनाई गई तो दोनां आवाज पहचानकर्ताओं ने उक्त दोनों रिकॉर्डिंग वार्ताएं सुन समझ तसल्ली कर बताया कि उक्त वार्ताओं में रिकार्ड एक आवाज आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई की हैं तथा अन्य

आवाज किसी दूसरी महिला की हैं, जिसे हम नहीं पहचान सकते हैं। फर्द आवाज पहचान अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई ताबाद दोनो आवाज पहचानकार्ताओ को रुखसत दी गई। दिनांकः- 01.03.2025 को वक्तः- 9.00 पी.एम पर आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई की पतारसी में गये हुए श्री चम्पालाल मय ब्यूरो जाप्ता उपस्थित आये तथा श्री चम्पालाल एएसआई ने विस्तृत हालात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अर्ज किये। प्रकरण में आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेट संविदाकर्मी पीएससी खेतोलाई की उनके निवास स्थान ग्राम खेतोलाई, श्री नाथूराम भूतपुर्व सरपंच के घर पर, गॉव के आस पास के क्षेत्र में एसीबी टीम एवं थानाधिकारी पुलिस थाना लाठी के आरोपिया शारदा विश्नोई दस्तयाबी के प्रयास किये गये परन्तु आरोपिया अपने निवास एवं गांव से रूहपोश होने के कारण अब तक आरोपिया की दस्तयाबी नही हो पाई है। आईन्दा आरोपिया को दस्तयाब करने के प्रयास कर मिलने पर उससे पुछताछ कर गिरफतार किया जावेगा। दिनांकः- 01.03.2025 को वक्तः- 11.40 पी.एम पर ब्यूरो जाप्ता श्री दीनाराम हैड कानि 03, श्री कंवराजसिंह कानि 444 मय सरकारी वाहन चालक श्री षेराराम कानि 302 को ट्रेप कार्यवाही में गिरफतारषुदा आरोपी श्री कपिल को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु बन्द हवालात करवाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण के नाम तहरीर क्रमांक स्पे0-01 दिनांक 01.03.2025 जारी कर पुलिस थाना पोकरण रवाना किया गया। दिनांकः- 02.03.2025 को वक्तः- 12.05 एएम पर ब्यूरो जाप्ता श्री दीनाराम हैड कानि 03, श्री कंवराजसिंह कानि 444 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री शेराराम कानि 302 उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा गिरफतारशुदा आरोपी श्री कपिल को पुलिस थाना पोकरण के हवालात में आरोपी श्री कपिल को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लाकर पेश की जिसको शामिल रनिग नोट किया गया। दिनांकः- 02.03.2025 वक्तः- 12.10 ए.एम पर परिवादिया श्रीमति रूपा देवी को रूकसत दी गई। कानि चालक श्री शेराराम, श्री बन्नुकुमारी हैड कानि 114 को निर्देशित किया गया दिनांकः- 02.03.2025 को वक्तः- 12.15ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रूबरू स्वतन्त्र मौतबिरान के, ब्यूरो जाब्ता के ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री कपिल के दोनो हाथो एवं उनके पहने हुए पायजामा की घुटने के पास वाली दाहिनी जेब से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, एवं पायजामा का शील्डसुदा पैकेट मार्क-पी एवं आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 1700/- रुपये एवं दिनांक 01.03.2025 को आरोपिया श्री शारदा विश्नोई एवं परिवादिया श्रीमति रूपादेवी के मध्य हुई वक्त लेन देन से पुर्व मोबाईल वार्ता एवं आरोपी श्री कपिल एवं परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के मध्य हुई रूबरू लेन देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड मार्क एम-2 का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्तालापो का दो डब मैमोरी कार्ड खुली हालात मे, ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी के मेमोरी कार्ड का मूल पैकेट मार्क "वी" मय दो डब मेमोरी कार्ड खुली हालात में, आरोपिया श्रीमति शारदा तथा परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.02.2025 तथा परिवादिया श्रीमति रूपा देवी व श्रीमति कंचन कंवर के मध्य हुई मोबाईल वार्ता दिनांक 28.02.2025 के मेमोरी कार्ड के शील्डषुदा पैकेट क्रमषः मार्क एम और एम-1 मय उपरोक्त वार्ताओ के डब मेमोरी कार्डस खुली हालात में, इत्यादि मालखाना आईटम आईन्दा मालखाना प्रभारी श्री दीनाराम हैड कानि0 03 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जावेगा। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री कपिल पुत्र आशाराम जाति विश्नोई उम्र 27 साल निवासी खेतोलाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर प्राईवेट व्यक्ति दलाल (आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई का पति) द्वारा परिवादिया श्रीमति रूपा देवी के क्लेम कार्य की प्रोत्साहन राशि के बिल वैरीफाई करने तथा कम्प्युटर मे अपलोड कर बिलो का भुगतान करने की एवज में आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई हाल कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई द्वारा दिनांक 27.02.2025 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान 1700 रूपये की मांग करना, तथा आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई के कहे अनुसार श्री कपिल प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) द्वारा आज दिनांक 01.03.2025 को वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादिया से 700 रूपये परिवादिया स्वंय के तथा 1000 रूपये श्रीमति कंचन कंवर आशा सहयोगिनी के इस प्रकार कुल 1700 रूपये लेते हुए रंगे हाथो गिरफतार किया गया। आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई एवं आरोपी श्री कपिल प्राईवेट व्यक्ति दलाल(आरोपिया का पति) का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपी श्री कपिल पुत्र आशाराम जाति विश्नोई उम्र 27 साल निवासी खेतोलाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर प्राईवेट व्यक्ति दलाल (आरोपिया शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई का पति) के दोनो हाथो के अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवनो का रंग क्रमशः मटमेला, गुलाबी आना, रिश्वति राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पहने हुए पायजामा की घुटने के पास वाली दाहिनी जेब का लिया गया धोवन हल्का गुलाबी पाया गया। इस तरह आरोपी श्री कपिल (आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई का पति) एवं आरोपिया श्रीमति शारदा विश्नोई कम्प्युटर ऑपरेटर पीएचसी खेतोलाई का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन करवाकर अनुसंधान के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें। भवदीय (नरपतचन्द) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।............कार्यवाही

पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपतचन्द, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जैसलमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) में आरोपीगण 1. श्रीमती शारदा विश्नोई, पत्नी श्री कपिल जाति विश्नोई उम्र 31 साल निवासी गा्रम पोस्ट खेतोलाई पुलिस थाना लाठी जिला जैसलमेर हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर, संविदाकर्मी, प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, खेतोलाई जिला जैसलमेर एवं 2.श्री कपिल पुत्र श्री आशाराम जाति विश्नोई उम्र 27 साल निवासी खेतोलाई पुलिस थाना लाठी तहसील पोकरण जिला जैसलमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री चैनप्रकाश, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 525 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।क्रमांक 251–54 दिनांक 02.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2.उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 3.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा विभाग,जैसलमेर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** CHEN PRAKASH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 02/03/2025 14:0

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	24/04/1994				
2	Male	1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)